रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 243(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास के लिए उसके न्यासी मंडल द्वारा तैयार की गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में बताई गई जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) - चौथा संशोधन विनियमावली, 2013 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है ।

उक्त विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) - चौथा संशोधन विनियमावली, 2013

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 1988 को फिर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**

(1) राष्ट्रीय विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)(चौथा संशोधन) विनियमावली, 2013" होगा ।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियम 3 में उप-विनियम (च) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (छ) जोड़ा जाए :

3(छ) - "कर्मचारी के संबंध में निलंबन समीक्षा समिति" का आशय है अनुसूची में निर्धारित समिति ।

3. विनियम 6 में :

(i) वर्तमान उप-विनियम 6 (क) के अंतिम शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ :

''उप-विनियम (7) में निहित उपबंधों के अधीन''

(ii) वर्तमान उप-विनियम (7) की संख्या 6 (ग) की जाए ।

(iii) उप-विनियम 6 (ग) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (7) एवं (8) जोड़े जाएँ

''(7) इस विनियमावली के अधीन किए गए अथवा दिए समझे गए निलंबन आदेश की समीक्षा निलंबन समीक्षा की सिफारिश पर निलंबन की प्रभावी तारीख से 90 दिनों के अंदर ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो निलंबन का संशोधन अथवा प्रतिसंहरण करने में सक्षम हो और वे निलंबन के विस्तार अथवा प्रतिसंहरण के आदेश जारी करेंगे । बाद के पुनर्विलोकन निलंबन की विस्तारित अवधि समाप्त होने से पहले किए जाएँगे । निलंबन का विस्तार एक बार में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जा सकेगा ।''

''(8) इस विनियमावली के उप-विनियम (1) और (3) के तहत दिया गया अथवा दिया समझा गया निलंबन आदेश नब्बे दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसे नब्बे दिनों के समाप्त होने से पहले समीक्षा के बाद और अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया नहीं जाता है ।

परन्तु यह कि उप-विनियम (3) के अधीन मान्य निलंबन के मामले मे समीक्षा आवश्यक नहीं होगी यदि कर्मचारी निलंबन के नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने पर निलंबित ही रहता है और ऐसे मामलो में नब्बे दिनों की अवधि उस दिन में से जो भी बाद में हो से मानी जाएगी जब कर्मचारी को अभिरक्षा से छोड़ दिया हो या उसके नियुक्ति प्राधिकारी को उसके छोड़े जाने की सूचना दी जाए ।''

4. विनियम की ''अनुसूची'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

अनुसूची

[विनियम 3 (ख), 3 (च), 5 (2), 10 और 21 देखें]

क्र.सं.	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	सक्षम प्राधिकारी जो शास्ति/दंड लगाने में सक्षम हैं और वे दंड जिन्हें वे विनियम 7 के खण्ड (i) से (ix) के संदर्भ में लगा सकते हैं ।		अपीली प्राधिकारी	निलंबन समीक्षा समिति की संरचना
			प्राधिकारी	दंड		
1	2	3	4	5	6	7
I	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) में शामिल पद	अध्यक्ष के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार	अध्यक्ष	(i) से (iv) लघु शास्तियाँ	केन्द्र सरकार	(i) सचिव, (पोत परिवहन) (ii) अध्यक्ष (iii) संयुक्त सचिव (पत्तन)
			केन्द्र सरकार	सभी	केन्द्र सरकार	जैसा ऊपर दिया गया है ।
II	श्रेणी I के पद जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) में शामिल न हो)	अध्यक्ष	अध्यक्ष	(i) से (iv) लघु शास्तियाँ	अध्यक्ष	(i) अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष (iii) संबधित विभागाध्यक्ष
			अध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार	जैसा ऊपर दिया गया है ।

1	2	3	4	5	6	7
III	श्रेणी II के पद	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	(i) से (iv) लघु शास्तियाँ	अध्यक्ष	(i) उपाध्यक्ष (ii) संबधित विभागाध्यक्ष (iii) कोई अन्य विभागाध्यक्ष
			उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष	जैसा ऊपर दिया गया है ।
IV	श्रेणी III	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष	(i) उपाध्यक्ष (ii) संबधित विभागाध्यक्ष (iii) कोई अन्य विभागाध्यक्ष
V	श्रेणी IV	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष	(i) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (ii) कोई अन्य विभागाध्यक्ष (iii) कम से कम वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक स्तर का अधिकारी

[फा. सं. पीआर-12016/26/2008-पीई-I]

एन. मुरुगनंदम, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 6 जनवरी, 1988 के सा.का.नि. 14 (स्था.) द्वारा अधिसूचित की गई तथा निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

(i) दि. 5 मार्च, 1993 के सा.का.नि. 263 (स्था.)

(ii) दि. 21 जनवरी, 1994 के सा.का.नि. 103 (स्था.)

(iii) दि. 17 अप्रैल, 1998 के सा.का.नि. 187 (स्था.)

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2014

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Fourth Amendment Regulations, 2013 made by the Board of Trustees for the Jawaharlal Nehru Port and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Fourth Amendment Regulations, 2013

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulation, 1988, namely :—

1. **Short Title and Commencement**

(i) These Regulations may be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Fourth Amendment Regulations, 2013.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulations 3, after sub-regulation (f), sub-regulation (g) may be inserted as under :—

"(g) " Suspension Review Committee" in relation to an employee means the Committee prescribed as such in the Schedule.,"

3. In Regulation 6,

(i) After the existing sub-regulation 6(a), the following words shall be added after the last word :— "subject to the provisions contained in Sub-Regulation (7)"

(ii) The existing Sub-Regulation (7) shall be re-numbered as 6(c).

(iii) The following sub-regulations (7) and (8) shall be added after sub regulation 6 (c).

"(7) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension, before the expiry of ninety days from the effective date of suspension, on the recommendation of the Suspension Review Committee and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time."

"(8) An order of suspension made or deemed to have been made under sub-regulation (l) or (3) of this Regulation shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days.

Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under Sub-Regulation (3), if the employee continues to be under suspension at the time of completion of ninety days of suspension and the ninety days period in such case will count from the date the employee detained in custody is released from detention or the date on which the fact of this release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later."

4. The "Schedule" annexed to these Regulations shall be substituted as under :—

SCHEDULE

[See-Regulations 3(b), 3(f), 5(2), 10 & 21]

Sr. No.	Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties & penalties which it may impose (with reference to clause (i) to (ix) of Regulation 7		Appellate Authority	Composition of Review Suspension Committee
1	2	3	4 Authority	5 Penalties	6	7
I	Posts Covered by clause (a) of sub section (i) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963	Central Government after consultation with the Chairman	Chairman	i) to (iv) - Minor Penalties	Central Government	i) Secretary (Shipping) ii) Chairman iii) Joint Secretary (Posts)
			Central Government	ALL	Central Government	As above

1	2	3	4	5	6	7
II	Class I posts (Other than those covered by clause (a) of Sub-Section (I) of Section 24 of Major Port Trusts Act 1963	Chairman	Chairman	(i) to (iv) Minor Penalties	Chairman	i) Chairman ii) Dy Chairman iii) Concerned HOD
			Chairman	ALL	Central Government	As above
III	Class II	Deputy Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) Minor Penalties	Chairman	i) Dy. Chairman ii) Concerned HOD iii) Any other HOD
			Deputy Chairman	ALL	Chairman	
IV	Class III	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman	i) Dy. Chairman ii) Concerned HOD iii) Any other HOD
V	Class IV	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman	i) HOD of concerned Deptt. ii) Any other HOD iii) Officer not below the rank of Sr. Manager/ Manager

[F. No. PR-12016/26/2008-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 14 (E) dated 6th January, 1988 and subsequently amended vide-

(i) GSR 263 (E) dated 5th March, 1993.

(ii) GSR No. 103(E) dated 21st January, 1994.

(iii) GSR No. 187(E) dated 17th April, 1998.

1474 GI/24-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.